न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारीः— आशाराम डूडी आर.ए.एस

अपील सख्या 2013/00159 (24/2013) 223 आरटीएक्ट

नन्दराम पुत्र श्री आदूराम जाति नायक साकिन 51 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान । **——अपीलांट**

बनाम

1. रेशमी देवी पत्नी
2. विमला देवी पुत्री
3. रघुवीर पुत्र
4. कालूराम पुत्र
5. सावित्री पुत्री

स्व0 श्री चन्दूराम जाति नायक साकिन 51 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

6. तेजाराम पुत्र आदूराम जाति नायक साकिन घमूड़वाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
7. खेताराम पुत्र आदूराम जाति नायक साकिन बींझबायला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा। —रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय 11.10.2017 न्यायालय सहायक कलक्टर पीलीबंगा प्रकरण संख्या 31/2015

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितिः—

श्री जगराज सिह भाटी अधीवक्ता अपीलाण्ट

श्री मदन लाल पारीक रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3, 5

श्री खुशकरण सिह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 9

निर्णय दिनांक :— 18.10.2019

1. संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 5 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनिय में प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत भूमि आदूराम व सोनादेवी के नाम दर्ज है जिसमें प्रार्थीयान का 1/3 का हक व हिस्सा है। प्रश्नगत भूमि पर प्रार्थीयान का कब्जा काश्त है।

मुताबिक हक हिस्सा अपनी भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज हैं परन्तु राजस्व अभिलेख में भूमि मृतक आदूराम, सोनादेवी के नाम दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण इस भूमि के राजस्व अभिलेख में परिवर्तन करवाना चाहते है। प्रार्थीगण के शान्तिपूर्व कब्जा काश्त में अप्रार्थीगण दखलअंदाजी करना चाहते हैं। प्रार्थीयान ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष मांगा। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिमसें उसने बेयनामा एवं वसीयत के आधार पर उसका कब्जा काश्त होने का कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र खारिज करने का कथन किया। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रार्थना–पत्र के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि चक 9 बीएलडब्ल्यू के प. नं. 41/246 के किला नं. 16 की 0.253 है. भूमि अपीलाण्ट की अपने भाई तेजा से व प. नं. 51/247 के किला नं. 3 की 0.152 है. भूमि भी अपीलाण्ट की जरिये बैयनामा खरीदशुदा भूमि है व इसी चक के प. नं. 51/247 किला नं. 1, 3, 13, 14, 15 की 0.885 है. भूमि अपीलाण्ट की जरिये दस्तावेज वसीयत के प्राप्त हुई है। अधिनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड पर मौजूद दस्तावेजों का बिना अध्ययन किये उक्त निर्णय आनने फानन में पारित किया है जो काबिल खारिजी है। प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि है। इस भूमि पर अपीलाण्ट का खरीद के समय से व वसीयत के समय से ही कब्जा काश्त है। विधि अनुसार खातेदार की भूमि पर स्थगन जारी नहीं किया जा सकता परन्तु अधीनस्थ न्यायलाय ने इस बिन्दू के विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो काबिल खारिजी है। इस बाबत कानुनी नजीरें प्रस्तुत की थी जो कि उक्त प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होती है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने काई गौर नहीं किया है। स्थगन के कारण बिजली का कनैक्शन रूका हुआ है, बैंक से लौन नहीं मिल रहा है तथा अपीलाण्ट के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि आदूराम के नन्दराम, चन्दू राम, तेजाराम और खेताराम चार पुत्र थे। अधीनस्थ न्यायालय में वाद चन्दूराम के वारिसान ने पेश किया था। आदूराम ने अपने जीवन काल में 13 बीघा भूमि अपने तीन पुत्रों चन्दूराम, तेजाराम, खेताराम के नाम वसीयत करवा दी जो उप पंजीयक सूरतगढ से तस्दीक की गई थी। प्रार्थीगण के पिता/पति फौत हो चुके हैं। उक्त भूमि तीनों पुत्रों

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

को बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई। चक 9 बीएलडबल्यू की 3 बीघा भूमि मुताबिक वसीयत राजस्व अभिलेख में अंकन हो चुका है। इस 3 बीघा भूमि में श्री चन्दूराम का 1/3 हिस्सा था जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका है। तेजाराम व खेताराम का 2/3 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 नन्दराम ने अपने नाम करवा लिया है। शेष 10 बीघा भूमि का मुताबिक वसीयत नामान्तरण नहीं हुआ है क्योंकि वरवक्त यह भूमि चक 50 एलएलडब्ल्यू में थी जो वर्तमान मे चक 49 एलएलडब्ल्यू में होने के कारण वसीयत की पालना नहीं हुई इसलिए इस प्रश्गनत भूमि पर पर प्रार्थीगण/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 5 का संयुक्त रूप से 1/3 हक हिस्सा है। आदूराम व सोना देवी फौत हो चुके हैं। आदूराम व सोनादेवी की पुत्रियॉ मैथी देवी, मीरां देवी, सावित्री देवी ने इस भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लिया है। अप्रार्थी संख्या 1 नन्दराम ने बिना किसी आधार के आदूराम व सोनादेवी के नाम के नाम दर्ज भूमि में 8.956 है. व 0.506 है. भूमि राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवा ली। चक 9 बीएलडब्ल्यू की आदूराम के नाम अंकित 5.161 हे. भूमि का विरास्तन इन्तकाल अपने अकेले के नाम करवा लिया है जो कतई गलत हैं तेजाराम व खेताराम ने चक 9 बीएलडब्ल्यू में सोनादेवी के नाम दर्ज भूमि में से अपना 5.12 बीघा का हिस्सा नन्दराम को दे दिया है। हम प्रार्थीगण के पिता व पति चन्दूराम व मैथी देवी, मीरां देवी सावित्री देवी पुत्री आदूराम ने अपने हक व हिस्सा कभी भी नन्दराम को नहीं दिया है। नन्दराम ने अपने हिस्सा से अधिक भूमि अपने नाम अंकित करवा ली है। रेस्पोडेण्टान को वसीयत के मुताबिक उनका हिस्सा प्राप्त हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति के बिन्दू रेस्पोडेण्ट के पक्ष में है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1995 पेज 717, आरआरडी दिस. 2002 पेज 744, आरबीजे (7) 2000 पेज 483 आरआरटी 2018 (2) पेज 1371, आरआरटी 2016–17 (सुप.) पेज 167 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने पेश किया है। जिमसें उन्हांने वसीयत के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर अपना हक हिस्सा बताया है। उभयपक्ष के मध्य आदूराम एवं सोना देवी की भूमि के संबंध में हक हिस्सों को लेकर विवाद है। प्रकरण में कुल 13 बीघा भूमि की वसीयत होने का कथन है जिसमें से 3 बीघा की हद तक वसीयत का राजस्व रिकार्ड में इंतकाल हो गया है एवं 10 बीघा का राजस्व रिकार्ड में इंतकाल इस कारण से नहीं हो सका कि वरवक्त यह भूमि चक 50 एलएलडब्ल्यू में थी जो वर्तमान मे चक 49

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एलएलडबल्यू में होने के कारण वसीयत की पालना नहीं हुई। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अनुसार प्रश्नगत भूमि आदूराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा चक 9 बीएलडब्ल्यू की 2.125 है. भूमि सोनादेवी के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है। दोनों पक्षकार विवादित आराजी पर अपना हक व अधिकार बता रहे हैं। चूंकि पक्षकारों के मध्य विचाराधीन है जिसमें दोनों पक्षों की और से साक्ष्य व सबूत लिये जाकर विवादित आराजी बाबत वसीयत एवं विरास्तन अधिकारों एवं अन्य बिन्दुओं का निस्तारण होना शेष है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू रेस्पोडेण्ट के पक्ष में है। आरआरडी 2002 पेज 744 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिनियम की धारा 212 का प्रयोजन भूमि को किसी भी प्रकार के हस्तान्तरण से बचाना भी है। जब परिवार के सदस्यों के बीच घोषणा का वाद लम्बित हो तथा भूमि का हस्तान्तरण किये जाने का डर हो तो भूमि का हस्तान्तरण रोकने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी चाहिए। उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टान्तों के आलौक में अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय यथावत रखे जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट कारण खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.10.2017 यथावत् रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2019 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2019.11.27 11:25:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: